संख्या- 18/2025/001-1907675(1)/12-2099/58/2022 पार्ट-2

प्रेषक,

गुन्जन दुबे,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 29 मार्च, 2025

विषय:-वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 4401-फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय-103-बीज-04-आधारिक बीज भण्डार-01-खाद्यान्न/दलहन/तिलहन/बीज की लागत और प्रासंगिक व्यय के मानक मद-43-सामग्री एवं सम्पूर्ति में पुनर्विनियोग के माध्यम से वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

कृपया कृपया उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-एस0एफ0-1738-जी/4401-01/पुनर्विनियोग/2024-25, दिनांक 07 मार्च 2025 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-11 लेखाशीर्षक 4401-फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय-00-800-03-कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के अन्तर्गत नवीन अवसंरचनाओं एवं परिसम्पत्तियों का विकास योजना के मानक मद 14-मोटर गाड़ियों का क्रय में रू0 1000.00 लाख, मानक मद 24-वृहद निर्माण कार्य में रू0 1458.02 लाख, मानक मद 25-लघु निर्माण कार्य में रू0 150.00 लाख एवं मानक मद 26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयत्र में रू0 1555.48 लाख अर्थात कुल धनराशि रू0 4163.50 लाख की उपलब्ध बचत से अनुदान संख्या-11 लेखाशीर्षक-4401-फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय-103-बीज-04-आधारिक बीज भण्डार-01-खाद्यान्न/दलहन/तिलहन/बीज की लागत और प्रासंगिक व्यय के मानक मद-43-सामग्री एवं सम्पूर्ति में धनराशि रू0 4163.50 लाख (रूपये इक्तालीस लाख तिरसठ हजार पचास हजार मात्र) की अतिरिक्त धनराशि को विभागीय बचतों से संलग्न प्रपत्र बी0एम0-9 (भाग-1) के अनुसार निम्नलिखित शर्तो के अधीन पुनर्विनियोग किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:

नियम व शर्तें/प्रतिबन्ध

1. स्वीकृत धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों एवं प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

2. स्वीकृत धनराशि का व्यय योजना की निर्धारित दिशा निर्देशों/गाइडलाइन्स एवं संगत नियमों के अनुसार ही किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

3. बचत की धनराशि एवं व्यय की जाने वाली धनराशि का औचित्य आपके द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

4. जिस योजना/मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है उसमें चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की मांग नही की जायेगी।

5. जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की मांग की जा रही है, उसी मद/कार्यो में आहरित कर व्यय की जायेगी।

6. जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है उसका सदुपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।

7. प्रस्ताव में आकड़ों की शुद्धता का दायित्व आपका होगा।

8. वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी करने अथवा धनराशि को विभागाध्यक्ष/नियंत्रण अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने से पूर्व आपके स्तर पर की जाने वाली समस्त औपचारिक्ताओं की पूर्ति अनिवार्यतः सुनिश्चित कर ली जाये। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नही देता है।

9. जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निर्वतन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नही देता है।

10. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

11. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च 2024 एवं इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत अन्य दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 41,63,50,000 (रुपये इकतालीस करोड़ तिरसठ लाख पचास हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय व्ययक में अनुदान संख्या-011 **लेखा** 4401001030401 खाद्यान्न/दलहन/तिलहन/बीज की लागत और प्रासंगिक व्यय मानक मद 43 सामग्री एवं सम्पूर्ति के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीया,
गुन्जन दुबे
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-19/2025/001-1907675(2)/12-2099/58/2022 पार्ट-2, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-:

1. महालेखाकार द्वितीय/प्रथम-(लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. प्रधान महालेखाकार द्वितीय/प्रथम-(सिविल आडिट), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. वित्त नियंत्रक, कृषि विभाग, लखनऊ।
4. अपर कृषि निदेशक, (बीज एवं प्रक्षेत्र), उ0प्र0 लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊवरिष्ठ कोषाधिका/समस्त् कोषाधिकारी/री,उ0प्र0।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभागग-1/बजट अनुभाग-1/2/कृषि अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
गुन्जन दुबे
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

बी एम-9 (भाग - 1)

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति

(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)

A012-20242025-1907675 2025 12 2099 58 2022 Part-1

विषय:-वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 4401-फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय-103-बीज-04-आधारिक बीज भण्डार-01-खाद्यान्न/दलहन/तिलहन/बीजों की लागत और प्रासंगिक व्यय योजना के मानक मद-43-सामग्री एवं सम्पूर्ति में पुनर्विनियोग किए जाने के सम्बन्ध में।

निम्नलिखित **निधियो से प्रस्तावित संक्रमण**

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान / विनियोग	वितीय वर्ष
011	4401008000300 (कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के अन्तर्गत नवीन अवसंरचनाओं एवं परिसंपत्तियों का विकास)	14 (मोटर गाड़ियों का क्रय)	10,00,00,000 रुपये दस करोड़ मात्र	10,00,00,000 रुपये दस करोड़ मात्र	-10,00,00,000 रुपये दस करोड़ मात्र	100000000	0.00	2024-2025
011	4401008000300 (कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के अन्तर्गत नवीन अवसंरचनाओं एवं परिसंपत्तियों का विकास)	24 (वृहत् निर्माण कार्य)	68,50,00,000 रुपये अड़सठ करोड़ पचास लाख मात्र	14,58,02,000 रुपये चौदह करोड़ अट्ठावन लाख दो हजार मात्र	-14,58,02,000 रुपये चौदह करोड़ अट्ठावन लाख दो हजार मात्र	1458020005 3919 8000	-	2024-2025
011	4401008000300 (कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के अन्तर्गत नवीन	25 (लघु निर्माण कार्य)	1,50,00,000 रुपये एक करोड़ पचास लाख मात्र	1,50,00,000 रुपये एक करोड़ पचास लाख मात्र	-1,50,00,000 रुपये एक करोड़ पचास लाख मात्र	1,50,00,000	0.00	2024-2025

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

	क्षेत्र के अन्तर्गत नवीन अवसंरचनाओं एवं परिसंपत्तियों का विकास)	निर्माण कार्य)	पचास लाख मात्र	करोड़ पचास लाख मात्र	करोड़ पचास लाख मात्र			
011	4401008000300 (कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के अन्तर्गत नवीन अवसंरचनाओं एवं परिसंपत्तियों का विकास)	26 (मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र)	20,00,00,000 रुपये बीस करोड़ मात्र	15,55,48,000 रुपये पन्द्रह करोड़ पचपन लाख अड़तालीस हजार मात्र	-15,55,48,000 रुपये पन्द्रह करोड़ पचपन लाख अड़तालीस हजार मात्र	14554800 - -	44452000	2024-2025

निम्नलिखित निधियो मे प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
011	4401001030401 (खाद्यान्न/दलहन/तिलहन/बीज की लागत और प्रासंगिक व्यय)	43 (सामग्री एवं सम्पूर्ति)	3,10,00,00,000 रुपये तीन अरब दस करोड़ मात्र	41,63,50,000 रुपये इक्तालीस करोड़ तिरेसठ लाख पचास हजार मात्र	4163500000	35163500,000	2024-2025

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहे :-

1- स्तम्भ-3 में उल्लिखित योजनान्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में लक्ष्यों के निर्धारण न होने के कारण बचत हो रही है।

2- स्तम्भ-8 में उल्लिखित धनराशि के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अपेक्षित धनराशि चालू वित्तीय वर्ष हेतु वित्तीय लक्ष्यों में वृद्धि होने के कारण सामग्री एवं सम्पूर्ति मद में व्ययाधिक्य की स्थिति उत्पन्न हुई है।

3- निदेशालय के पत्रांक 1707जी, दिनांक 27.02.2025 द्वारा प्रेषित पुनर्विनियोग प्रस्ताव के बी0एम0-9 में उल्लिखित वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय की धनराशि रु0 36603.35 लाख में अपेक्षत्तर प्राप्त बचत रु0 4163.50 लाख को शामिल करते हुए स्तम्भ-9 में दर्शाया गया है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

4. प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनिर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर संख्या-150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लघंन नहीं होता है।

बजट-1-855 दि० 28/3/2025

संख्या: आर ई-< ५ > -2024-25, दिनांक- मार्च, 2025

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

Gunjan Dubey
(गुन्जन दुबे)
अनु सचिव।

Signed by
Dr. Ramesh Chandra Tiwari
Date: 28-03-2025 10:25:13
(डॉ० रमेश चन्द्र तिवारी)
उप सचिव।

संख्या:1907675(1) 2025 12 2099 58 2022 Part-1 दिनांक- मार्च, 2025

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रधान महालेखाकार (सिविल/आडिट)-प्रथम/द्वितीय, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय, प्रयागराज।
3. वित्त नियंत्रक, कृषि निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/समस्त कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।
5. वित्त (आय-व्ययनयक) अनुभाग-1 (बी0एम0-9 तीन प्रतियों में)।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
Gunjan Dubey
(गुन्जन दुबे)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।